रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3156] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2019/आश्विन 3, 1941
No. 3156] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2019/ASVINA 3, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2019

का.आ. 3462(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1828 (अ), तारीख 7 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 7 मई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, असम सरकार की पहले की अधिसूचना सं.8, तारीख 27.08.1881 द्वारा घोषित होल्लोनगपर रिजर्व वन की संरक्षण स्थिति को उन्नत करके असम सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एफआरएस 37/97/13, तारीख 30.07.1997 द्वारा होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य को अधिसूचित किया गया था;

और, अभयारण्य का महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र असम राज्य में जोरहाट जिला में स्थित है। जो 20.98621 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है; इससे होकर गुजरने वाले मार्ग, इसके आवाह क्षेत्र से गुजरने वाली बारहमासी भोगदोई नदी और अभयारण्य का पारिस्थितिकी पर्यावरण अद्वतीय हैं जहां कई छोटी मौसमी नदियां भी हैं जिनमें जोरहाट जिले के होल्लोनगपर

मौजा (तालुका) और नाकाचारी मौजा (तालुका) से गुजरने वाली नदियां भी शामिल है जो इस अभयारण्य में जीवजंतुओं के लिए जल का मुख्य स्त्रोत है;

और, अभयारण्य की वनस्पति जैव-विविधता में 74 वृक्ष की प्रजातियां, 17 बेलों झाड़ियों की प्रजातियां और 12 की प्रजातियां सम्मिलित हैं; अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों होल्लोंग (*डिप्टेरोकार्पस रेट्टूसा*), सैम (*आर्टोकार्पस चपलाशा*), अमरि (*अमूरा वल्लीची*), सोपास (*मिचलिअ* स्प), भेलु (*टेट्रामेलोस नडीफ्लोरा*), उडाल (*स्टेरक्युलिअ विलोसा*), हिंगोरी (*चस्टानोप्सिस* स्प), नाहोर (मुसुआ फेरेंअ), बांदोरडिमा (*डिऑक्सीलम प्रॉएरूम*), धुना (*कैनरियम रेसिनिफेरुम*), भोमोरा (*टर्मिनलिए बेलेरिका*), फूल गोमरी (*गमेलिना स्प*), बॉन बोगोरी (*पटेरोस्पेर्म लैंसोफोलोम*), मोरहल (*वाटिका लैंसोफोलीअ*), सस्सी (*अक्लिलारिअ अगोलाचा*), ओटेंगा (*दिल्लेनिअ इंडिका*), अजर (*लागेरस्टराइमिआ फ्लॉस-रेगिंए*), बॉन-एँम(*माँगीफेरा सिल्वाटिका*), अमोरा(*स्पोंडिअस माँगीफेरा*), यूरिअम(*बिस्कोफिया जवानिका*), सेल्लिंग (*सपियम बाक्सातुम*), माहि ठेकेरा (*गर्सिनिअ मोरेल्ला*), कथोलुआ (*पालकियम ओबोवेटियम*), कुम्भी(*करेया अरबोरिया*), गहोरी सोपा(*मैगनोलिया पीलिआना*), गोमारी (*गेमेलिना अर्बोरेआ*), गोहोरा (प्रेम्ना बैंगालेंसिस), गोन्धसोरोइ (*सिन्नामोनियम ग्रन्दिलिफेरुम*), सालमुगरा (*हीड्रोकार्पस कुरजील*), पोरेन्ग (*ऍलएओर्पुस रोबुस्तुस*), सोतिओना (*आलोस्टोनिअ स्कोलरिस*), चोम (*मचिलुस ओदोरतिस्सिमे*), चेवा (*कार्योटा उरुस*), जुतुलि (*अल्तिन्गिअ एक्षुल्सा*), जोरि (*फिस्कुस बेंजामिन*), तितस्योपा (*मिचलिआ चम्पका*), पैन चौपा (*मैगनोलिया स्फेनोकार्पा*), बोहोत (*आर्टोकार्पु लकुचा*), फकड़ेमा (*त्रिवेअ ओरेन्तलिस*), फूल सोपा (*मैगनोलिया हूकारी*), बोरहोमथुरी (*टालॉमा होड्गसन*), बोगी जामुक (*एउगेनिआ कुरजी*), बोर जामुक (*एउगेनिअ जाम्बुलअना*), बाघ नोला (*लित्सेआ सेबिफेरा*), भात्घिल्ला (*ऑरोक्सिलोम इंडिकॉम*), बोमोरा (*टर्मिनलीआ बेलेरिका*), मेजंगकोरी (*लिटसेअ सित्राता*), खोकोन (*दुभांगा सोनरटोइडस*), रुद्राखा (*एलएओर्पुस गेनिट्रस*), रघु (*अन्थोसेफालुस कदम्बा*), सिमुल (*बोमबाक्स सिबा*), लेतेकु (बकेउरिया *सपेदा),* हीलिखा (*टर्मिनलिक चेबुला*), होउरा (*ट्रोफिस एस्पेरा*), हल्दू सोपा (*अदिने कर्डिफोलिआ*), होलोख (*टर्मिनलीआ मैरिओकार्पा*), हेलोच (*अन्तिदेसमे घिसाएमबिला*), भेलकोर(*ट्रेविआ नडीफ्लोरा*), बोअल(*करदिअ ओब्लिए*), बोनसम (*फोएबे गोआलपारेंसिस*), बोरपात (*ऐलन्थस ग्रान्डिस*), डिमरू (*फिक्स स्प*), घोरा नीम (*मेलिया इंडिका*), हुआलु (*लिटसेयि पोल्यंथा*), *जलपाई (इलाइओकारपूस वरुणा), कंचन (बोहिनिया पुरपुररिया), केसेरू (हेटेरोपनक्स फ्रैगरैंस),* कोरोइ (*अल्बेज़िए प्रोसेरा*), मौज (*अजबेजिया लउकीदा*), मोरोलीअ (*मल्लोटुस अलबूस*), नागाभे *(स्कीमा वल्लीची),* पारोली*(स्टेरोस्पेर्म चेलोनोइड्स),* पोमा *(सेडरेला टोने)* और टेपोर ठेंगा *(गर्सिनिअ स्प)* आदि को अभिलिखित किया गया हैं;

और, झाड़ियों और बेलों की प्रजातियों में हारपगन्धा (*रवोल्फिआ सर्पेन्टीना*), गुफूल(*लांटेना कैमरा*), जरमोनी(*एयपोटोरियम ओडोरातुम*), जेतुली पोका (*रुबूस मुलुकानुस*), तोरा (*अलफिनिया अलुघस*), धोपट्टीते (*फलोगन्थूस क्रविफ्लोरस*), नाल (*अरुणडोडोनक्स*), खोगोरी (*फरगिमिटेस करका*), निलजी बॉन (*मिमोसा पुडिका*), पतिदोई (*इलिनोगयाने डिचोटोमा*), पोछोतिया (*बुदद्लीरिया असिटिक*), फुतुका (*ओस्बेकिआ रत्नता*), बिओनी हबोटा (*डेस्मोडियम लबोरनिफोलियम*), बहूक तिता (*अधाटोड़ा स्प*), काउपत *(फर्नियम स्प*), माखिओटी (फ्लेमिनज़िआ स्ट्रीक्टा), मेजेंगा (विबरनुम कोलेबूकीअनुम), अमोइलोटा (मेनिस्प्रनुम ग्लाबरूम), हरजूरा लोटा*(सिस्सुस क्राड्रंगुलारिस),* आकाशीलोता *(तरचेलोसपेरमुम फरगिरान्स),* पनिलोटा *(दिलीना सेरमेंटोसा),* कोलीअलोटा *(मेर्रेमिया उम्बल्लता),* पिपूली *(पिपेर लोंगम),* लातुमोनी *(अब्रुस प्रेकटोरिओउस),* मेकुरी चाली *(कॉम्बरेतुम डेकुन्दरूम),* जेंगु बेट *(कैलामुस इरेक्टस),* जाती बेट *(कैलामुस तेनेविसे),* रैदांग बेट *(कैलामुस फ्लागेल्लुम)* और लेजाई बेट *(कलेमुस फ्लोरीबुन्डुस),* आदि सम्मिलित हैं।

और, होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य में महत्त्वपूर्ण दुर्लभ प्रजातियाँ जैसे *डिपटेरोकारपुस रेतुसुस (होल्लोंग), फिकुस स्पा (फिग), अरटोकारपुस चापलासा (साम-गोच चम्काथाल), लिटसेया चीतराटा (मजांगकोरी), अक्यूइलारिया अगलोचा* (अलोइवूड), आदि पाई जाती है;

और, अभयारण्य 11 स्तनधारीयों की प्रजातियां, 5 सरीसृपों और उभयचर की प्रजातियों और 31 पक्षी–जीव की प्रजातियों का आश्रय प्रदान करता है; अभयारण्य की मुख्य जीवजंतु में बाघ (स्टराय) (*पैंथेरा टाइगरिस*), एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सीमूस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), बनबिलार (फेलिस चाउस), भारतीय गंध बिलाव *(विवेर्रादिया स्पा),* विशाल गिलहरी *(रेतुफा बिकोलोर),* मुंजक *(मुनटीक्स मुनतजक*), सांभर हिरण *(केरवुस यूनिकोलोर),* जंगली सूअर *(सूस स्कोरफा),* पाँच-धारीदार गिलहरी *(फनाम्बुलुस पेन्नांटी),* भारतीय पायथन *(गेनुस पायथन), सामान्य मॉनिटर लिर्जाड (वरानुस गरीसूस), इंडियन टेंट* कछुआ *(कचुगा टेक्टा टेक्टा),* छिपकली *(कलोदुक्टयलाइदेस उयरेउस), सामान्य कोबरा (नाजा स्पा),* सफेद विंजेड वोड बत्तख *(कैरिना स्कुतुलाटा),* हॉर्न बिल *(पटीलोलाइमुस टीककालि उयस्टेनी),* भारतीय पाइर्ड हॉर्न बिल *(अंथराकोकेरोस मालाबरिकुस),* ओस्प्रेय *(पंदीओन हालिअटेटुस),* हिल मैना *(ग्रराकुला रेलिगिओसा इंडिका),* कालीज तीतर *(लोफुरा लेउकोमाला),* बैबलर *(टीमालिनिया स्पा), बारबेटस (कपिटोओनिदेया स्पा), बिट्रेरंस (अरदेइदिया स्पा),* किंग फिशर *(अल्केदीनिदेय),* ओरिओलेस *(ओरिओलिदया), बुलबुलस (पयच्नोनोटीदेया स्पा),* उल्लू (*स्टरीगिदेया*), सफेद बगुला *(अरीदइदआ),* जलकाग *(फालाकरोकोराचीदे*), मैना *(स्टर्निदेया निदेया),* कोयल *(कुकुलिदेया*), मैग्पाइज (*कोरविदेया*), कबूतर *(कोलुम्बिदेया), डारटेर्स (फालाक्रोरासिदेया), डरोवेस (कोलुम्बिदिया), ब्लू जाय (कोराकिदिया), तेअल्स (अनाटीदिया),* ट्री पाई *(कोरविदिया), बायस (पलोकेइदिया),* जंगल मुर्गी *(फसिअनिदिया),* मिनिविट *(काम्पेफागिदिया), मुनिअस (इस्टरील्दिना),* तोता *(पसिट्टाकिदिया),* कठफोड़वा *(पिकिदिया)* और टीटस (परिदेइ) आदि शामिल हैं; और अभयारण्य जैवविविधता को समृद्ध करने वाली सात (7) दुर्लभ प्रमुख प्रजातियों को भी संरक्षण देता है;

और, यह अभयारण्य विविधतापूर्ण भू-दृश्य है एक महत्त्वपूर्ण हाथी गलियारा इसका अभिन्न भाग है। इसमें दिसाई और दिसाई घाटी रिजर्व वन, और इसके दक्षिण में नागालैंड का भू-भाग मिलता है;

और, अभयारण्य मारियानी मौज़ा (तालुका) से 3 किलोमीटर और जोरहाट शहर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है और तेज़ी से होता शहरीकरण आगे चलकर पक्षियों, पशुओं और अभयारण्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अभयारण्य से एक रेलवे लाइन और एक सड़क भी गुजरती है जिससे यह सड़क यातायात के लिए खुल जाता है और अभयारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचती है;

और, अभयारण्य में विविध प्रकार की वनस्पति, जीवजंतु और पक्षी जीव रहते हैं। और यह स्थानिक वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है, अत:, होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य में जोरहाट जिला के होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर (नागालैंड राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा) से 22.54 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य के सीमा के चारो ओर 0 (शून्य) किलोमीटर (नागालैंड राज्य के अंतरराज्यीय सीमा) 22.54 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 264.62 वर्ग किलोमीटर है।

(2) होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध–II क** और **उपाबंध–II ख** के रुप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग; और

(xii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, आरोह, प्रपातों आदि की

पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा तथा स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाईयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर उन क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या एक उच्च डिग्री के कटाव वाली ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाईयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा;

		(ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	फर्मो, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो,

		किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित

		होंगे ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का संविधान	पद
(i)	उपायुक्त, जोरहाट	अध्यक्ष,पदेन;
(ii)	क्षेत्र का शहरी योजनाकार	सदस्य;
(iii)	असम सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला प्रकृति संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	प्रादेशिक अधिकारी, असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिबसागर	सदस्य;
(v)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड, असम	सदस्य;
(vii)	जिला उद्योग अधिकारी, जोरहाट	सदस्य;
(viii)	जिला कृषि अधिकारी, जोरहाट	सदस्य;
(ix)	जिला मत्स्य अधिकारी, जोरहाट	सदस्य;
(x)	प्रभागीय वनाधिकारी, जोरहाट प्रभाग, जोरहाट	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा मानीटरी समिति गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की जिन्हे भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के

आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. **सुप्रीम कोर्ट, आदि के आदेश:-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. अतिरिक्त उपाय:- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे

[फा. सं. 25/55/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

असम राज्य में होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्व:-जीपीएस बिंदु सं. 1 (94° 23' 14.681" पू और 26° 41' 29.920" उ) से सीमा जीपीएस बिंदु सं 2 को पार करके चाय बागान के साथ जाकर जीपीएस बिंदु सं.3 (94° 22' 16.632" पू और 26° 40' 17.275" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 3 से सीमा सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाकर जीपीएस बिंदु सं.4 (94° 22' 27.612" पू और 26° 40' 3.979" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.4 से पुन: सीमा जीपीएस बिंदु सं. 5 को पार करके चाय बागान सीमा के साथ जाकर जीपीएस बिंदु सं.6 (94° 23' 9.328" पू और 26° 39' 47.632" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.6 से पुन: सीमा सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.7 (94° 23' 36.674" पू और 26° 39' 15.625" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.7 से सीमा चाय बागान के साथ जाती है। और जीपीएस बिंदु सं. 8 (94° 23' 54.414" पू और 26° 38' 45.600" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.8 से सीमा जीपीएस बिंदु सं.9 एवं 10 को पार करके दिसाई रिजर्व वन की रिजर्व वन सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.11 (94° 27' 10.359" पू और 26° 39' 16.601" उ) से मिलती है। वहां से सीमा रिजर्व वन सीमा (असम नागालैंड अंतरराज्यीय सीमा) के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं.12 (94° 27' 57.392" पू और 26° 38' 0.138" उ) से मिलती है।

दक्षिण:- जीपीएस बिंदु सं. 12 (94° 27' 57.392" पू और 26° 38' 0.138" उ) से सीमा जीपीएस बिंदु सं.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 एवं 29 को पार करके दिसाई एवं दिसाई घाटी रिजर्व वन (असम नागालैंड अंतरराज्यीय सीमा) की रिजर्व वन सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.30 (94° 18' 59.946" पू और 26° 27' 32.039" उ) से मिलती है।

पश्चिम:- जीपीएस बिंदु सं. 30 (94° 18' 59.946" पू और 26° 27' 32.039" उ) से सीमा जीपीएस बिंदु सं.31,32,33,34 एवं 35 को पार करके दिसाई घाटी रिजर्व वन (असम नागालैंड अंतरराज्यीय सीमा) की रिजर्व वन सीमा के साथ उत्तर की ओर जाकर जीपीएस बिंदु सं.36 (94° 17' 4.305" पू और 26° 33' 44.203" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 36 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 37,38,39,40 एवं 41 को पार करके दिसाई घाटी रिजर्व वन सीमा के साथ पूर्व की ओर मुड़ती है। और जीपीएस बिंदु सं. 42 (94° 23' 6.610" पू और 26° 37' 57.755" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.42 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 43,44,45,46,47,48,49 एवं 50 को पार करके भोगदई नदी और दिसाई नदी के बाएं तट के साथ उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 51(94° 16' 48.306" पू और 26° 43' 59.786" उ) 23' 24.281" पू और 26° 44' 18.300" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.56 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 57 को को पार करके सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाकर जीपीएस बिंदु सं.58 (94° 24' 2.960" पू और 26° 41' 18.688" उ) से मिलती है जीपीएस बिंदु सं.58 से सीमा सड़क के साथ पश्चिम की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 59 (94° 23' 16.032" पू और 26° 40' 50.899" उ) से मिलती है।

उत्तर:-जीपीएस बिंदु सं. 59 से सीमा सड़क के साथ उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.1 (94° 23' 14.681" पू और 26° 41' 29.920" उ) से मिलती है। अभयारण्य की पश्चिमी सीमा नागालैंड के साथ अंतरराज्यीय सीमा को छूती है और अत: पारिस्थितिकी संवेदी जोन 0.0 किलोमीटर प्रस्तावित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 0.0 किलोमीटर (नागालैंड के साथ अंतरराज्यीय सीमा) से 22.54 किलोमीटर के बीच है।

उपाबंध- II क

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

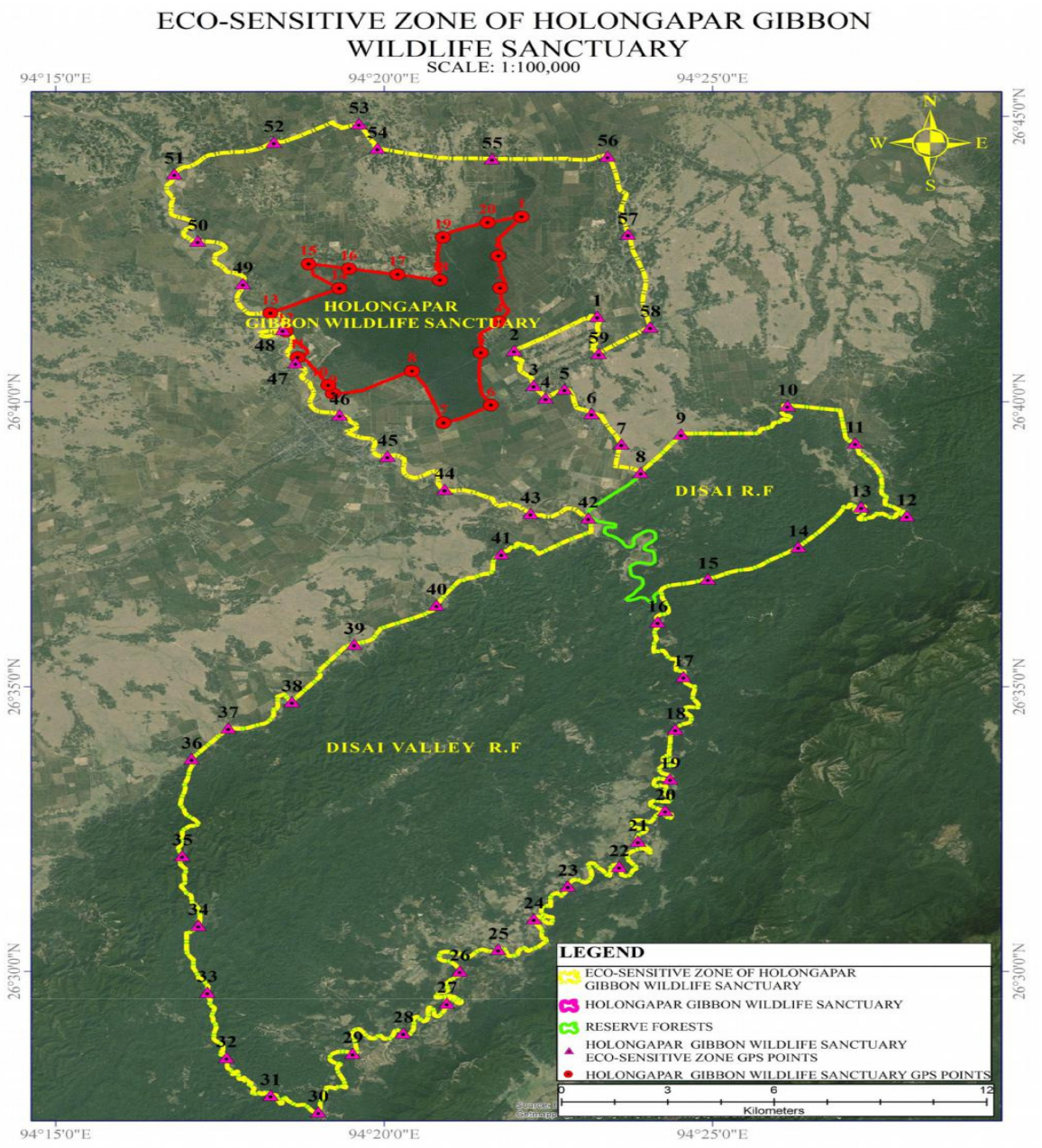

उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

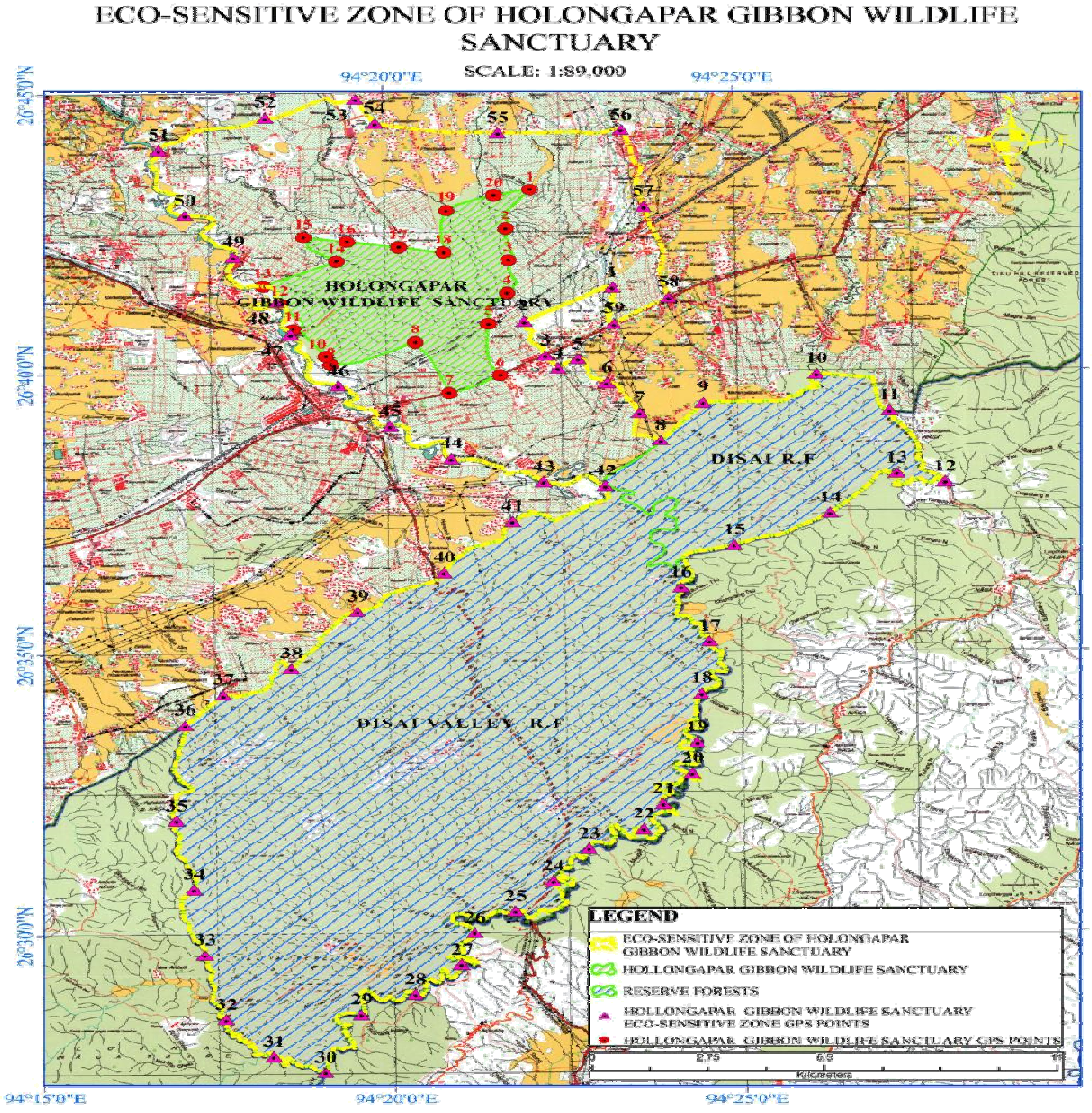

उपाबंध-III

सारणी क: होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

जीपीएस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	94° 22' 5.369" पू	26° 43' 14.526" उ
2	94° 21' 44.154" पू	26° 42' 33.281" उ
3	94° 21' 45.902" पू	26° 41' 59.451" उ
4	94° 21' 44.588" पू	26° 41' 24.186" उ
5	94° 21' 28.134" पू	26° 40' 51.434" उ
6	94° 21' 37.449" पू	26° 39' 56.337" उ
7	94° 20' 54.065" पू	26° 39' 37.576" उ
8	94° 20' 25.370" पू	26° 40' 32.105" उ
9	94° 19' 13.121" पू	26° 40' 8.556" उ
10	94° 19' 8.815" पू	26° 40' 17.324" उ
11	94° 18' 41.036" पू	26° 40' 46.645" उ
12	94° 18' 30.120" पू	26° 41' 14.195" उ
13	94° 18' 15.841" पू	26° 41' 32.983" उ
14	94° 19' 18.964" पू	26° 41' 59.067" उ
15	94° 18' 50.889" पू	26° 42' 24.862" उ
16	94° 19' 27.784" पू	26° 42' 19.920" उ
17	94° 20' 12.239" पू	26° 42' 13.733" उ
18	94° 20' 50.712" पू	26° 42' 7.986" उ
19	94° 20' 53.612" पू	26° 42' 52.873" उ
20	94° 21' 34.283" पू	26° 43' 8.484" उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

जीपीएस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	94° 23' 14.681" पू	26° 41' 29.920" उ
2	94° 21' 58.733" पू	26° 40' 54.190" उ
3	94° 22' 16.632" पू	26° 40' 17.275" उ
4	94° 22' 27.612" पू	26° 40' 3.979" उ
5	94° 22' 44.856" पू	26° 40' 13.435" उ
6	94° 23' 9.328" पू	26° 39' 47.632" उ
7	94° 23' 36.674" पू	26° 39' 15.625" उ
8	94° 23' 54.414" पू	26° 38' 45.600" उ
9	94° 24' 31.095" पू	26° 39' 26.119" उ
10	94° 26' 8.448" पू	26° 39' 56.055" उ
11	94° 27' 10.359" पू	26° 39' 16.601" उ
12	94° 27' 57.392" पू	26° 38' 0.138" उ
13	94° 27' 15.774" पू	26° 38' 9.378" उ
14	94° 26' 18.451" पू	26° 37' 27.401" उ
15	94° 24' 55.909" पू	26° 36' 53.720" उ
16	94° 24' 9.908" पू	26° 36' 8.385" उ
17	94° 24' 33.452" पू	26° 35' 10.842" उ
18	94° 24' 25.974" पू	26° 34' 15.262" उ
19	94° 24' 21.288" पू	26° 33' 23.163" उ
20	94° 24' 16.844" पू	26° 32' 49.680" उ
21	94° 23' 51.958" पू	26° 32' 17.464" उ
22	94° 23' 34.682" पू	26° 31' 50.761" उ
23	94° 22' 47.947" पू	26° 31' 30.131" उ
24	94° 22' 16.926" पू	26° 30' 55.641" उ
25	94° 21' 44.231" पू	26° 30' 23.364" उ

26	94° 21' 9.009" पू	26° 30' 0.605" उ
27	94° 20' 57.257" पू	26° 29' 26.790" उ
28	94° 20' 17.557" पू	26° 28' 55.367" उ
29	94° 19' 31.392" पू	26° 28' 33.835" उ
30	94° 18' 59.946" पू	26° 27' 32.039" उ
31	94° 18' 16.389" पू	26° 27' 49.605" उ
32	94° 17' 36.034" पू	26° 28' 29.485" उ
33	94° 17' 18.566" पू	26° 29' 38.238" उ
34	94° 17' 10.442" पू	26° 30' 48.756" उ
35	94° 16' 55.540" पू	26° 32' 2.181" उ
36	94° 17' 4.305" पू	26° 33' 44.203" उ
37	94° 17' 37.623" पू	26° 34' 16.571" उ
38	94° 18' 35.813" पू	26° 34' 44.390" उ
39	94° 19' 32.812" पू	26° 35' 44.785" उ
40	94° 20' 47.911" पू	26° 36' 26.203" उ
41	94° 21' 46.973" पू	26° 37' 20.167" उ
42	94° 23' 6.610" पू	26° 37' 57.755" उ
43	94° 22' 13.726" पू	26° 38' 2.520" उ
44	94° 20' 55.265" पू	26° 38' 27.840" उ
45	94° 20' 3.032" पू	26° 39' 2.789" उ
46	94° 19' 19.293" पू	26° 39' 46.253" उ
47	94° 18' 39.098" पू	26° 40' 41.041" उ
48	94° 18' 27.490" पू	26° 41' 15.839" उ
49	94° 17' 51.098" पू	26° 42' 4.516" उ
50	94° 17' 9.801" पू	26° 42' 49.134" उ
51	94° 16' 48.306" पू	26° 43' 59.786" उ
52	94° 18' 19.472" पू	26° 44' 33.213" उ

53	94° 19' 37.013" पू	26° 44' 52.619" उ
54	94° 19' 53.855" पू	26° 44' 26.751" उ
55	94° 21' 38.543" पू	26° 44' 15.740" उ
56	94° 23' 24.281" पू	26° 44' 18.300" उ
57	94° 23' 42.683" पू	26° 42' 56.295" उ
58	94° 24' 2.960" पू	26° 41' 18.688" उ
59	94° 23' 16.032" पू	26° 40' 50.899" उ

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं	ग्राम का नाम	तालुका/मौज़ा	जीपीएस निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	भाग का मारोंगिअल गांव	नाकाचारी	26°40′23.56″उ	94°24′19.47″ पू
2	पश्चिमी भाग का डेबेरापार चारीअली	नाकाचारी	26°41′15.5″उ	94°23′58.2″पू
3	नागाकाटा गांव	नाकाचारी	26°39′10.3″उ	94°23′49.3″पू
4	ना-पाम गांव	नाकाचारी	26°39′16.0″उ	94°24′11.1″पू
5	दीहींगिया गांव	नाकाचारी	26°40′13.5″उ	94°23′11.2″पू
6	चिनतोली गांव	नाकाचारी	26°40′01.56″उ	94°23′43.05″पू
7	मयतजुली गांव	नाकाचारी	26°39′36.1″उ	94°23′23.3″पू
8	खाटीसोना गांव	नाकाचारी	26°40′33.4″उ	94°22′12.6″पू
9	तरउल भेटा गांव	नाकाचारी	26°41′46.12″उ	94°23′0.27″पू
10	रतनपुर गांव	नाकाचारी	26°40′45.1″उ	94°22′58.5″पू
11	काराजिपर गांव	नाकाचारी	26°40′36.7″उ	94°22′31.0″पू
12	अफलामुख गांव	नाकाचारी	26°41′04.3″उ	94°22′54.7″पू
13	कलिया गांव	नाकाचारी	26°40′49.6″उ	94°22′2.54″पू
14	2 नम्बर. दरीकिल राजाबरी	नाकाचारी	26°42′20.8″उ	94°23′19.7″पू
15	पश्चिमी भाग का नागादेरा	नाकाचारी	26°43′31.1″उ	94°23′39.4″पू

16	जोतोकिया गांव	नाकाचारी	26°43′58.09″उ	94°20′54.39″पू
17	नैमती गांव	नाकाचारी	26°40′54.8″उ	94°22′52.6″पू
18	फसुअल गांव	नाकाचारी	26°43′48.6″उ	94°20′55.6″पू
19	करी गांव	नाकाचारी	26°44′11.3″उ	94°20′25.9″पू
20	भुगपुर गांव	नाकाचारी	26°42′21.1″उ	94°20′28.1″पू
21	गोबिंपुर गांव	नाकाचारी	26°42′15.58″उ	94°20′14.58″पू
22	मधुपुर गांव	नाकाचारी	26°42′18.2″उ	94°20′14.7″पू
23	तुनिमुख गांव	नाकाचारी	26°42′32.2″उ	94°20′06.9″पू
24	गोसपुरिया गांव	नाकाचारी	26°43′44.3″उ	94°20′28.4″पू
25	हींदुबरी गांव	नाकाचारी	26°43′39.5″उ	94°18′40.3″पू
26	मेलेंग लखिपुर गांव	नाकाचारी	26°40′56.4″उ	94°21′37.7″पू

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2019

S.O. 3462(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.1828 (E), dated 7th May, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 7th May, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, the Hollongapar-Gibbon Sanctuary was notified by the Government of Assam *vide* notification No. FRS/37/97/13, dated 30.07.1997, by upgrading the conservation status of the Hollongapar Reserve Forest declared earlier *vide* notification No. 8, dated 27.08.1881;

AND WHEREAS, the Sanctuary is an important protected area situated in Jorhat District in the state Assam covering an area of 20.98621 square kilometers; the perennial river Bhogdoi along with its catchment passes through the Sanctuary and makes the ecological environment of the Sanctuary unique, several seasonal small streams comprising of Hollongapar Mouza (Taluka) and Nakachari Mouza (Taluka) of Jorhat District are the main sources of water for the animals in the Sanctuary;

AND WHEREAS, the floral biodiversity of the Sanctuary includes 74 tree species, 17 species of shrubs and 12 species of climbers; the important tree species recorded from the Sanctuary are hollong (*Dipterocarpus retusa*), sam (*Artocarpus chaplasha*), amari (*Amoora wallichii*), sopas (*Michelia spp.*), bhelu (*Tetramelos nudiflora*), udal (*Sterculia villosa*), hingori (*Castanopsis spp.*), nahor (*Musua ferrea*), Bandordima (*Dysoxylum procerum*), Dhuna (*Canarium resiniferum*), Bhomora (*Terminalia belerica*), ful Gomari (*Gmelina Spp.*), bon bogori (*Pterospermum lanceofolum*), morhal (*Vatica lanceofolia*), sassi (*Aquilaria agolacha*), otenga (*Dillenia indica*), ajar (*Lagerstroemia flos-reginae*), bon-am (*Mangifera silvatica*), amora (*Spondias Mangifera*), uriam (*Biscofia javanica*), Selleng (*Sapium baccatum*), mahi thekera (*Garcinia morella*), katholua (*Palequium obovatium*), kumbhi (*Careya arborea*), gahori Sopa (*Magnolia Pealiana*), gomari (*Gmelina arborea*), gohora (*Premna bengalensis*), Gondhsoroi (*Cinnamonium grandiliferum*), Salmugra (*Hydrocarpus kurzil*), poreng (*Elaeocarpus robustus*), sotiona (*Alostonia scholaris*), chom (*Machilus odoratissime*), chewa (*Caryota ureus*), jutuli (*Altingia exulsa*), Jori (*Fiscus benjamine*), titasopa (*Michelia champaka*), pan chopa (*Magnolia sphenocarpa*), bohot (*Artocarpus lakoocha*), fakdema (*Triwea orentalis*), phul sopa (*Magnolia hookari*), borhomthuri (*Talauma Hodgsoni*), Bogi jamuk (*Eugenia kurzii*), Bor jamuk (*Eugenia jambulana*), bagh nola (*Litssea Sebifera*), bhatghilla (*Oroxylum Indicam*), bomora (*Terminalia belerica*), mejangkori (*Litsea citrata*), khokon (*Dubhanga sonneratoides*), rudrakha (*Elaeocarpus ganitrus*), raghu (*Anthocephallus cadamba*), simul (*Bombax ceiba*), leteku (*Baceaurea sapeda*), hilikha (*Terminalic chebula*), houra (*Trophis aspera*), haldu Sopa (*Adine cardifolia*), holokh (*Terminalia myriocarpa*), heloch (*Antidesma ghesaembilla*), bhelkor (*Trewia nudiflora*), Boal (*Cordia oblique*), bonsum (*Phoebe goalparensis*), borpat (*Ailanthus grandis*), dimaru (*Ficus Spp.*), ghora neem (*Melia indica*), hualu (*Litsaea polyantha*), Jalpai (*Elaeocarpus varunna*), kanchan (*Bauhinia purpurea*), keseru (*Heteropanax fragrams*), koroi (*Albezzia procera*), moj (*Albezzia lucida*), morolia (*Mallotus albus*), nagabhe (*Schima wallichii*), paroli (*Sterospermum chelonoides*), poma (*Cedrela toona*) and tepor tenga (*Garcinia spp.*);

AND WHEREAS, the shrubs and climbers species include Harpagondha (*Rawolfia serpentina*), Guphul (*Lantena camera*), Jarmoni (*Eupotorium odoratum*), Jetuli poka (*Rubus mulucanus*), Tora (*Alpinea allughus*), Dhopattita (*Phloganthus crriviflorus*), Nal (*Arundodonax*), Khogori (*Phragmites karka*), Nilaji bon (*Mimosa pudica*), Patidoi (*Elinogyne dichotoma*), Pochotia (*Buddliria asiatica*), Phutuka (*Osbeckia rastrata*), Bioni Habota (*Desmodium labornifolium*), Bahok tita (*Adhatoda spp.*), Kaupat (*Phrynium spp.*), Makhioti (*Fleminzia stricta*), Mejenga (*Viburnum colebookianum*), Amoilota (*Menispernum glabrum*), Harjura lota (*Cissus quadrangularis*), Akashilota (*Trachelospermum fragrans*), Panilota (*Dilina sermentosa*), Kolialota (*Merremia umbellata*), Pipoli (*Piper longum*), Latumoni (*Abrus Precatorious*), Mekuri chali (*Combretum decundrum*), Jengu bet (*Calamus erectus*), Jati bet (*Calamus tenewise*), Raidang bet (*Calemus flagellum*) and Lejai bet (*Calemus floribundus*), etc.

AND WHEREAS, the important rare species found in the Hollongapar-Gibbon Sanctuary are *Dipterocarpus retusus* (hollong), *Ficus* spp. (fig), *Artocarpus chaplasha* (Sam-goch, Chamkathal), *Litsea citrate* (Mejangkori), *Aquilaria agallocha* (Aloewood), etc.

AND WHEREAS, the Sanctuary supports 11 species mammals, 5 species of reptiles and amphibians and 31 avifaunal species; the major fauna of the Sanctuary includes Tiger (stray) (*Panthera tigris*), Asiatic elephant (*Elephus maximus*), leopard (*Panthera pardus*), pangolin (*Manis crassicaudata*), jungle Cat (*Felis chaus*), Indian civet (*Viverridae spp.*), giant squirrel (*Retufa bicolor*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), sambar deer (*Cervus unicolour*), wild pig (*Sus*

scorfa), five-striped palm squirrel (*Funambulus pennanti*), Indian python (*Genus python*), common monitor lizard (*Varanus grisus*), Indian tent turtle (*Kachuga tecta tecta*), geacko (*Caloductyloids aureus*), common cobra (*Naja spp.*), white winged wood duck (*Cairina scutulata*), horn bill (*Ptilolaemus tickali austeni*), Indian pied horn bill (*Anthracoceros malabaricus*), osprey (*Pandion haliatetus*), hill myna (*Gracula religiosa indica*), kalij pheasant (*Lophurs leucomala*), babblers (*Timaliinae spp.*), barbets (*Capitonidae spp.*), bitterns (*Ardeidae spp.*), kingfisher (*Alcedinidae*), orioles (*Oriolidae*), bulbuls (*Pycnonotidae spp.*), owls (*Strigidae*), egrets (*Aridеidae*), cormorants (*Phalacrocoracidie*), mynah (*Sturnidae*), cuckoos (*Cuculidae*), magpies (*Corvidae*), pigeons (*Columbidae*), darters (*Phalacrocoracidae*), droves (*Columbidae*), blue jays (*Coraciidae*), teals (*Anatidae*), tree Pies (*Corvidae*), bayas (*Ploceidae*), jungle fowl (*Phasianidae*), minivets (*Campephagidae*), munias (*Estrildinae*), parakeets (*Psittacidae*), wood peckers (*Picidae*) and tits (*Paridae*), etc., and the Sanctuary also protects (7) seven rare primate species that enrich the biodiversity;

AND WHEREAS, heterogeneous landscapes of the Sanctuary is an integral part of a critical elephant corridor along with Disai and Disai Valley reserved forests, and the adjoining landscape of the State of Nagaland on the south;

AND WHEREAS, the Sanctuary is situated about 3 kilometers from Mariani Mouza (Taluka) and 18 km from Jorhat city and due to the fast urbanisation it may have adverse affect on birds, animals of the Sanctuary in the long run and railway line and road also pass through the Sanctuary opening it to vehicular traffic and causing damage to the ecosystem of the Sanctuary;

AND WHEREAS, the Sanctuary is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to rare and endangered species of wildlife endemic, hence, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the Hollongapar-Gibbon Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) kilometer (sharing inter-State boundary with the State of Nagaland) to 22.54 kilometers around the boundary of Hollongapar-Gibbon Sanctuary, in Jorhat District in the State of Assam as the Hollongapar-Gibbon Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) kilometer (sharing interstate boundary with the State of Nagaland) to 22.54 kilometers around the boundary of Hollongapar-Gibbon Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 264.62 square kilometres.

   (2) The boundary description of Hollongapar-Gibbon Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Hollongapar-Gibbon Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

   (4) List of geo-coordinates of the boundary of Hollongapar-Gibbon Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

   (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

   (i) Environment;
   (ii) Forest and Wildlife;
   (iii) Agriculture and Horticulture;

(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department; and
(xii) Assam State Pollution Control Board

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the

correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(ii) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.– Bio-medical waste management shall be as under:-

(i) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(ii) safe and Environmentally Sound Management of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone,

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per the applicable laws and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
(i)	Deputy Commissioner, Jorhat	Chairman, ex officio;
(ii)	Senior Town Planner of the area	Member;
(iii)	A representative of non-Governmental organisation working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Assam	Member;
(iv)	Regional Officer, Assam State Pollution Control Board, Sibsagar	Member;
(v)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(vi)	Member Secretary, State Biodiversity Board, Assam	Member;
(vii)	District Industries Officer, Jorhat	Member;
(viii)	District Agriculture Officer, Jorhat	Member;

(ix)	District Fishery Officer, Jorhat	Member;
(x)	Divisional Forest Officer, Jorhat Division, Jorhat	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended as **Annexure V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Supreme Court, etc. orders.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Additional measures.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Trib.

[F.No. 25/55/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION FOR ECO-SENSITIVE ZONE OF HOLLONGAPAR-GIBBON SANCTUARY IN THE STATE ASSAM

East:- From GPS Point No. 1 (94° 23' 14.681" E & 26° 41' 29.920" N) the boundary runs along the Tea Garden crossing the GPS Point No.2 till it meets the GPS Point No. 3 (94° 22' 16.632" E & 26° 40' 17.275" N). From GPS Points No.3 the boundary runs towards south along the road till it meets the GPS Points No.4 (94° 22' 27.612" E & 26° 40' 3.979" N). From GPS Points No.4 again the boundary runs along the Tea Garden boundary crossing the GPS Point No.5 till it meets the GPS Points No.6 (94° 23' 9.328" E & 26° 39' 47.632" N). From GPS Points No.6 again the boundary runs towards south along the road till it meet the GPS Points No.7 (94° 23' 36.674" E & 26° 39' 15.625" N). From GPS Points No.7 the boundary runs along the Tea Garden till it meets the GPS Points No.8 (94° 23' 54.414" E & 26° 38' 45.600" N). From GPS Point No. 8 the boundary runs towards east along the reserve forest boundary of Disai Reserve Forest crossing the GPS Point No. 9 & 10 till it meets the GPS Point No.11 (94° 27' 10.359" E & 26° 39' 16.601" N). From GPS Point No.11 the boundary runs along the reserve forest boundary (Assam Nagaland Inter-State Boundary) till it meet the GPS Point No.12 (94° 27' 57.392" E & 26° 38' 0.138" N).

South:-From GPS Point No. 12 (94° 27' 57.392" E & 26° 38' 0.138" N) the boundary runs towards west along the reserve forest boundary of Disai & Disai Valley reserve forests (Assam Nagaland Inter-State Boundary) crossing the GPS Point No. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 & 29 till it meets the GPS Point No. 30 (94° 18' 59.946" E & 26° 27' 32.039" N).

West:-From GPS Point No. 30 (94° 18' 59.946" E & 26° 27' 32.039" N) the boundary runs towards north along the reserve forest boundary of Disai Valley reserve forest (Assam Nagaland Inter-State Boundary) crossing the GPS Points No. 31,32,33,34 & 35 till it meets the GPS Point No. 36 (94° 17' 4.305" E & 26° 33' 44.203" N). From GPS Point No. 36 the boundary turn towards east along the Disai Valley reserve forest boundary crossing the GPS Points No. 37,38,39,40 & 41 till it meets the GPS Point No. 42 (94° 23' 6.610" E & 26° 37' 57.755" N). From GPS Point No. 42 the boundary runs towards north along the right bank of river Bhogdai or Disai river crossing the GPS Points No. 43,44,45,46,47,48,49 & 50 till it meets the GPS Point No.51 (94° 16' 48.306" E & 26° 43' 59.786" N). 23' 24.281" E & 26° 44' 18.300" N). From GPS Point No. 56 the boundary runs towards south along the road crossing the GPS Point No.57 till it meets the GPS Point No. 58 (94° 24' 2.960" E & 26° 41' 18.688" N). From GPS Point No. 58 the boundary runs towards west along the road till it meets the GPS Point No. 59 (94° 23' 16.032" E & 26° 40' 50.899" N).

North:-. From GPS Point No. 59 the boundary runs towards north along the road till it meet the GPS Point No. 1 (94° 23' 14.681" E & 26° 41' 29.920" N). The Western boundary of the Sanctuary share inter-state boundary with Nagaland and hence is 0.0 km of Eco-Sensitive Zone is being proposed. The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 0.0 Km (interstate boundary with Nagaland) to 22.54 km.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF HOLLONGAPAR-GIBBON SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

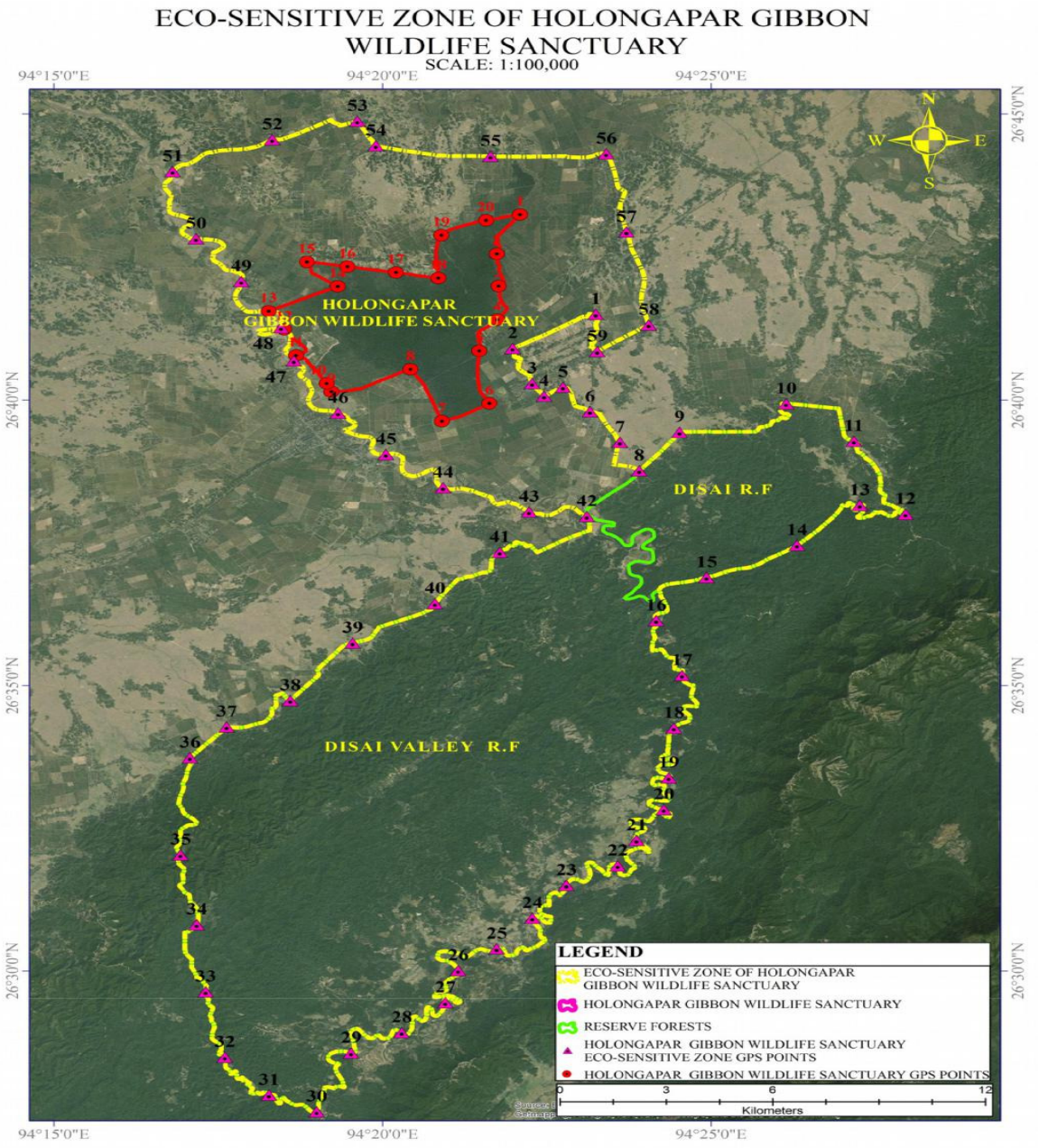

ANNEXURE- IIB

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF HOLLONGAPAR-GIBBON SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

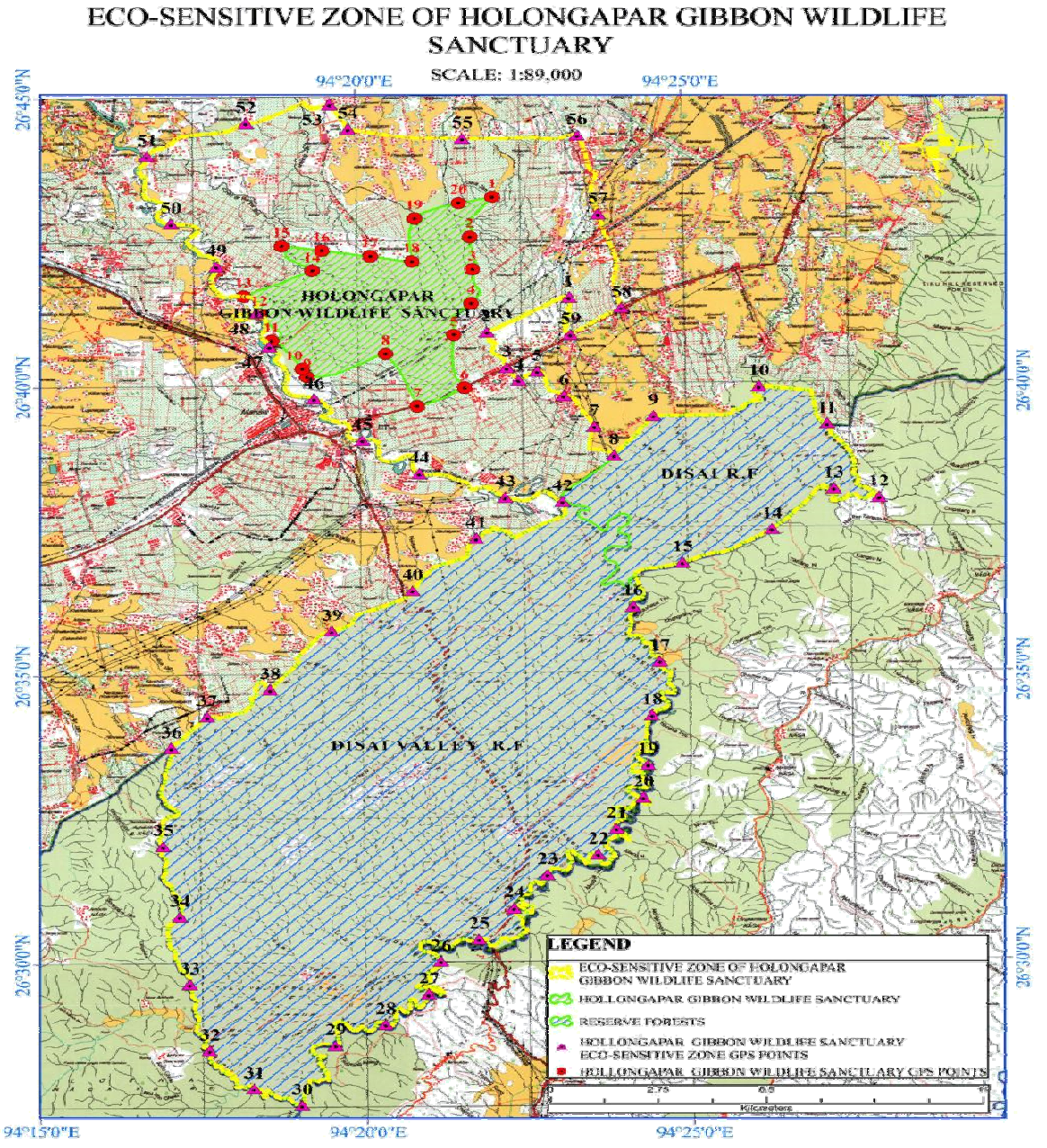

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF HOLLONGAPAR-GIBBON SANCTUARY

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
1	94° 22' 5.369" E	26° 43' 14.526" N
2	94° 21' 44.154" E	26° 42' 33.281" N
3	94° 21' 45.902" E	26° 41' 59.451" N
4	94° 21' 44.588" E	26° 41' 24.186" N
5	94° 21' 28.134" E	26° 40' 51.434" N
6	94° 21' 37.449" E	26° 39' 56.337" N
7	94° 20' 54.065" E	26° 39' 37.576" N
8	94° 20' 25.370" E	26° 40' 32.105" N
9	94° 19' 13.121" E	26° 40' 8.556" N
10	94° 19' 8.815" E	26° 40' 17.324" N
11	94° 18' 41.036" E	26° 40' 46.645" N
12	94° 18' 30.120" E	26° 41' 14.195" N
13	94° 18' 15.841" E	26° 41' 32.983" N
14	94° 19' 18.964" E	26° 41' 59.067" N
15	94° 18' 50.889" E	26° 42' 24.862" N
16	94° 19' 27.784" E	26° 42' 19.920" N
17	94° 20' 12.239" E	26° 42' 13.733" N
18	94° 20' 50.712" E	26° 42' 7.986" N
19	94° 20' 53.612" E	26° 42' 52.873" N
20	94° 21' 34.283" E	26° 43' 8.484" N

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
1	94° 23' 14.681" E	26° 41' 29.920" N
2	94° 21' 58.733" E	26° 40' 54.190" N
3	94° 22' 16.632" E	26° 40' 17.275" N
4	94° 22' 27.612" E	26° 40' 3.979" N
5	94° 22' 44.856" E	26° 40' 13.435" N
6	94° 23' 9.328" E	26° 39' 47.632" N
7	94° 23' 36.674" E	26° 39' 15.625" N
8	94° 23' 54.414" E	26° 38' 45.600" N
9	94° 24' 31.095" E	26° 39' 26.119" N
10	94° 26' 8.448" E	26° 39' 56.055" N
11	94° 27' 10.359" E	26° 39' 16.601" N
12	94° 27' 57.392" E	26° 38' 0.138" N

13	94° 27' 15.774" E	26° 38' 9.378" N
14	94° 26' 18.451" E	26° 37' 27.401" N
15	94° 24' 55.909" E	26° 36' 53.720" N
16	94° 24' 9.908" E	26° 36' 8.385" N
17	94° 24' 33.452" E	26° 35' 10.842" N
18	94° 24' 25.974" E	26° 34' 15.262" N
19	94° 24' 21.288" E	26° 33' 23.163" N
20	94° 24' 16.844" E	26° 32' 49.680" N
21	94° 23' 51.958" E	26° 32' 17.464" N
22	94° 23' 34.682" E	26° 31' 50.761" N
23	94° 22' 47.947" E	26° 31' 30.131" N
24	94° 22' 16.926" E	26° 30' 55.641" N
25	94° 21' 44.231" E	26° 30' 23.364" N
26	94° 21' 9.009" E	26° 30' 0.605" N
27	94° 20' 57.257" E	26° 29' 26.790" N
28	94° 20' 17.557" E	26° 28' 55.367" N
29	94° 19' 31.392" E	26° 28' 33.835" N
30	94° 18' 59.946" E	26° 27' 32.039" N
31	94° 18' 16.389" E	26° 27' 49.605" N
32	94° 17' 36.034" E	26° 28' 29.485" N
33	94° 17' 18.566" E	26° 29' 38.238" N
34	94° 17' 10.442" E	26° 30' 48.756" N
35	94° 16' 55.540" E	26° 32' 2.181" N
36	94° 17' 4.305" E	26° 33' 44.203" N
37	94° 17' 37.623" E	26° 34' 16.571" N
38	94° 18' 35.813" E	26° 34' 44.390" N
39	94° 19' 32.812" E	26° 35' 44.785" N
40	94° 20' 47.911" E	26° 36' 26.203" N
41	94° 21' 46.973" E	26° 37' 20.167" N
42	94° 23' 6.610" E	26° 37' 57.755" N
43	94° 22' 13.726" E	26° 38' 2.520" N
44	94° 20' 55.265" E	26° 38' 27.840" N
45	94° 20' 3.032" E	26° 39' 2.789" N
46	94° 19' 19.293" E	26° 39' 46.253" N
47	94° 18' 39.098" E	26° 40' 41.041" N
48	94° 18' 27.490" E	26° 41' 15.839" N
49	94° 17' 51.098" E	26° 42' 4.516" N
50	94° 17' 9.801" E	26° 42' 49.134" N
51	94° 16' 48.306" E	26° 43' 59.786" N

52	94° 18' 19.472" E	26° 44' 33.213" N
53	94° 19' 37.013" E	26° 44' 52.619" N
54	94° 19' 53.855" E	26° 44' 26.751" N
55	94° 21' 38.543" E	26° 44' 15.740" N
56	94° 23' 24.281" E	26° 44' 18.300" N
57	94° 23' 42.683" E	26° 42' 56.295" N
58	94° 24' 2.960" E	26° 41' 18.688" N
59	94° 23' 16.032" E	26° 40' 50.899" N

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF HOLLONGAPAR-GIBBON SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Name of Villages	Taluka/ Mouza	GPS Co-ordinates	
			Latitude	Longitude
1	Part of Marongial Gaon	Nakachari	26°40′23.56″N	94°24′19.47″ E
2	Western Part of Deberapar Chariali	---do---	26°41′15.5″N	94°23′58.2″E
3	Nagakata Gaon	---do---	26°39′10.3″N	94°23′49.3″E
4	Na-pam Gaon	---do---	26°39′16.0″N	94°24′11.1″E
5	Dihingia Gaon	---do---	26°40′13.5″N	94°23′11.2″E
6	Chinatoli Gaon	---do---	26°40′01.56″N	94°23′43.05″E
7	Mautjuli Gaon	---do---	26°39′36.1″N	94°23′23.3″E
8	Khatisona Gaon	---do---	26°40′33.4″N	94°22′12.6″E
9	Tirual Bheta Gaon	Nakachari	26°41′46.12″N	94°23′0.27″E
10	Ratanpur Gaon	---do---	26°40′45.1″N	94°22′58.5″E
11	Karatipar Gaon	---do---	26°40′36.7″N	94°22′31.0″E
12	Afalamukh Gaon	---do---	26°41′04.3″N	94°22′54.7″E
13	Kalia Gaon	---do---	26°40′49.6″N	94°22′2.54″E
14	2 No. Darikial Rajabari	---do---	26°42′20.8″N	94°23′19.7″E
15	Weastern Part of Nagadera	---do---	26°43′31.1″N	94°23′39.4″E
16	Jotokia Gaon	---do---	26°43′58.09″N	94°20′54.39″E
17	Neemati Gaon	Nakachari	26°40′54.8″N	94°22′52.6″E
18	Fesual Gaon	---do---	26°43′48.6″N	94°20′55.6″E
19	Kari Gaon	---do---	26°44′11.3″N	94°20′25.9″E
20	Bhugpur Gaon	---do---	26°42′21.1″N	94°20′28.1″E
21	Gobinpur Gaon	---do---	26°42′15.58″N	94°20′14.58″E
22	Madhupur Gaon	---do---	26°42′18.2″N	94°20′14.7″E
23	Tunimukh Gaon	---do---	26°42′32.2″N	94°20′06.9″E
24	Gospuria Gaon	---do---	26°43′44.3″N	94°20′28.4″E
25	Hindubari Gaon	---do---	26°43′39.5″N	94°18′40.3″E
26	Meleng Lakhipur Gaon	---do---	26°40′56.4″N	94°21′37.7″E

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.09.27 13:54:30 +05'30'